

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/ स्थानान्तरण/ अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक: 18.06.18 द्वारा श्री कानाराम, व्याख्याता संस्कृत का राउमावि हरियाली जालोर से राउमावि जीवाणा जालोर स्थानान्तरण किया गया था। श्री कानाराम द्वारा उक्त आदेश दिनांक: 18.06.2018 के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1866/2018 श्री कानाराम बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रस्तुत की गई। अपील संख्या 1866/2018 में पारित निर्णय दिनांक: 18.07.2018 से माननीय अधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक: 18.06.18 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/ अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक: 18.06.8 को अपीलार्थी श्री कानाराम की सीमा तक निरस्त किया जाता है।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक : 10-9-2018
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को उनके अ०टि० क्रमांक शि/मा/विधि/बी-3/29974/बी/18 दिनांक 09.08.18 के संदर्भ में।
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर